

प्रेषक,

मनोज कुमार सिंह,
अनु सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

मुख्य वन संरक्षक/
नोडल अधिकारी,
उ0प्र0 लखनऊ।

वन एवं वन्यजीव अनुभाग-2

लखनऊ, दिनांक 08 फरवरी, 2018

विषय :- लखनऊ से बलिया (बाया आजमगढ़) पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के निर्माण में लखनऊ, बाराबंकी, सुल्तानपुर, आजमगढ़ मऊ एवं गाजीपुर वन प्रभाग में प्रभावित 9.1549 हे0 आरक्षित वनभूमि एवं 8.4165 हे0 संरक्षित वनभूमि अर्थात् 17.5714 हे0 वनभूमि के गैरवानिकी प्रयोग एवं बाधक कुल 27942 वृक्षों/पौधों के पातन की अनुमति के सम्बन्ध में।

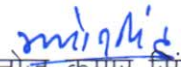
महोदय,

उपर्युक्त विषयक कृपया भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के पत्र संख्या-8बी/यूपी/09/02/2018/एफसी/297 दिनांक 30.01.2018 का सन्दर्भ ग्रहण करें, जिसके माध्यम से विषयगत प्रकरण में कतिपय बिन्दुओं पर की गई आपत्तियों का निराकरण कर संशोधित सूचनायें एवं तत्सम्बन्धी अभिलेखों को उपलब्ध कराये जाने की अपेक्षा की गई है।

2- विषयगत प्रकरण में प्रस्ताव की 02 प्रति भेजते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के पत्र दिनांक 30.01.2018 में अंकित कमियों का निराकरण कर संशोधित प्रस्ताव शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

संलग्नक : मूलरूप में 02 प्रति।

भवदीय,


(मनोज कुमार सिंह)
अनु सचिव।